

FORM NO.111

फर्द अहकाम




(नियम 28)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

शांतिदेवी बनाम हनुमानसाहाय वगै०

किसम मुकदमा- इजराय

मुकदमा नम्बर- 12/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम जो हुकम की तारीख जारी हुये
18.02.2022	<p>वकील डिकीदार श्री राजेन्द्र जाखड़ एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2021 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 17.03.2022 को पेश हो।</p> <p> दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>	<p>1561 18-2-2022</p>
14.11.2022	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में राज पैरोकार नायब तहसीलदार ने अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिकी व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 527 दिनांक 06.06.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में की जा चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p> (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	<p>नामान्तरण सं. 527 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया।</p> <p></p> 